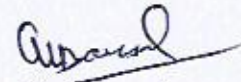


वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि0मी0 05.90 से कि0मी0 16.00 (प्रस्तावित किमी0 0.00 से किमी0 10.10) तक प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।

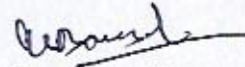


(ए0के0 बंसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर—सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि०मी० 16.00 से कि०मी० 58.85 (प्रस्तावित कि०मी०-10.10 से कि०मी०-52.950) तक प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।



(ए०के० बंसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।